UPBG010030892026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय संख्या-01, बागपत।

उपस्थित : पूनम राजपूत, उच्चतर न्यायिक सेवा

जे०ओ०कोड नं०- यू० पी० 6104

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या: 1032/2026

नईम पुत्र अखतर, निवासी छितरा बस्ती मुरादनगर, थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद।

.....अभियुक्त।

बनाम

राज्य

.....अभियोजक।

दिनांकः 04.06.2026

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **नईम** की ओर से मु०अ०सं० 163/2026, अन्तर्गत धारा 109(1), 317(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना खेकड़ा, जनपद बागपत में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **शपथपत्र शबनम** इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय में प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त केस मे रंजिशन झूठा फँसाया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर कोई जान से मारने की नीयत से फायर नहीं किया है तथा न ही उसके कब्जे से कोई नाजायज असलाह आदि की बरामदगी हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 19.05.2026 को उसके घर से उठाकर लाया गया तथा मुबारिकपुर खेकडा मे अवैध असलाह के साथ पुलिस पार्टी पर हमला दिखाते हुए गिरफ्तार करना बताया गया है तथा उल्टे पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया गया तथा झूठी कहानी बनाकर झूठे मुकदमे में चालान कर दिया गया, जबकि पुलिस पार्टी का कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। इस कारण घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी तथा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किये जाने के सम्बन्ध में पब्लिक का कोई भी स्वतन्त्र साक्षी नहीं दिखाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक पैर से अपाहिज है तथा उसका चलना भी दूभर है वह दौड़ भी नहीं सकता है ऐसी स्थिति में वह मुरादनगर से बड़ा गांव खेकडा में आकर पुलिस पर हमला कैसे कर सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त के ऊपर एक साथ लगाये गये केसों के अलावा अन्य केस किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.05.2026 से जिला कारागार बागपत मे निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत पर रिहा होने के पश्चात फरार होने अथवा केस विवेचना में बाधा पहुँचाने का अन्देशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निम्न न्यायालय से खण्डित हो चुका है तथा मान्य न्ययालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य किसी न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त मान्य न्यायालय की संतुष्टि अनुसार उचित जमानत देने के लिए तैयार है। अतः जमानत पर रिहा

Digitally signed by Poonam Rajput
Date: 2026.06.04 16:36:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किये जाने की याचना की गयी है।

4- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा व०उ०नि० सागर सिंह ने थाना हाजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय के साथ दी कि दिनांक 20.05.2026 को मैं व 030 नि0 श्री सागर सिंह मय हमराह है0 का0 440 राशिद खान, है० का0 489 सुनील कुमार मय प्राईवेट वाहन मय सरकारी असलाह के थाना हाजा के रोजनामाचाआम के रपट नं0 05 समय 00:05 बजे तलाश वांछित वारण्टी, विवेचना मुकदमा मर्जुआत व गस्त में रवाना में रवाना होकर बडा गांव चौकी पर बैरियर पर चैकिंग में मामूर था तो चैकिंग के दौरान मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि साहब एक व्यक्ति बडागाँव व मुबारिकपुर लिंक रोड पर मुबारिकपुर की ओर से आ रहा है जो ट्यूबवैल तथा तार चोरी करता है। जिसके पास अवैध असलाह भी है तथा आपके यहाँ भी कई मुकदमों में वांछित है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालों ने आपस में एक दूसरे की जामातलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं। गवाह फराहाम हेतु प्रयास किया गया तो बिना नाम पता बताये चले गये जल्दबाजी के कारण कोई विधिक नोटिस नहीं दिया जा सका। तत्पश्चात हम पुलिस वाले मुखबिर के बताये स्थान बडा गाँव व मुबारिकपुर लिंक रोड पर मुबारिकपुर की तरफ चल दिये कि सड़क पर करीब 100 मीटर दूर सामने से एक मोटर साइकिल आती दिखायी दी। मुखबिर ने गाड़ी रुकवाकर मोटर साइकिल की ओर इशारा करके बताया कि साहब यही व्यक्ति है और मुखबिर गाड़ी से उतरकर चला गया। हम पुलिस वालों ने गाडी से उतरकर मोटर साइकिल पर आ रहे व्यक्ति को रोकने हेतु टॉर्चों की रोशनी से इशारा किया तो मोटरसाईकिल सवार ने हम पुलिस वालों को देखकर मोटर साइकिल को हड़बड़ी में सुभाष पुत्र धर्मवीर की ट्यूबवैल के बराबर में बनी चकरोड पर मोटरसाइकिल मोड़ी तो हड़बडी में वहीं फिसल कर गिर गया तथा मोटरसाइकिल छोड़ कर जंगल की ओर भागने लगा तो हम पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को ललकारा कि तुझको पुलिस द्वारा घेर लिया गया है अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो तो उस व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस से घिरा देख, जान से मारने की नीयत से हम पुलिस वालों पर एक फायर किया हम पुलिस वाले सिखलाये गये तरीके से बाल-बाल बचे और इस पर हम पुलिस वालों द्वारा आत्मरक्षार्थ अपनी जान की परवाह न करते हुए उक्त बदमाश की फायरिंग रेंज में पहुंचकर ट्यूबवैल की आढ़ लेकर मेरे कहने पर है0 का0 440 राशिद ने एक राउंड फायर किया तो तुरन्त ही उस बदमाश के कराहने व चिल्लाने की आवाज आयी। मुझ व 030 नि0 द्वारा उक्त घटना की सूचना थाना कार्यालय को दी गयी। सूचना पर पूर्व से चौकी कस्बा क्षेत्र में गस्त कर रहे उ 0 नि0 श्री विकास कुमार भी मौके पर आ गये तब हम पुलिस वालों नें सिखलाये हुए तरीके से घायल बदमाश के नजदीक पहुंचकर देखा तो इस बदमाश के दाहिने पैर से खून बह रहा है। पकडे गये घायल बदमाश का नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम नईम पुत्र अख्तर निवासी फरुखनगर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद हाल पता छितरा बस्ती कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद बताया। इसकी जामातलाशी से इसके दाहिने हाथ के पास पडा हुआ एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ जिसकी नाल को खोलकर देखा तो ताजा चले बारुद की गंध आ रही है तथा नाल में एक खोखा कारतूस 315 बोर फंसा है। जिसकी पैंदी पर 8MM KF लिखा है। तमंचा चालू हालत में बरामद हुआ तथा अभियुक्त नईम की जामातलाशी से पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। जिसकी पैंदी पर 8 MM KF लिखा है। अभियुक्त से बरामदा तमंचे का लाईसेंस तलब किया तो दिखाने से कासिर रहा तथा तमंचा रखने का कारण पूछा तो माफी मांगते हुए बताया कि साहब यह तमंचा मैं अपने पास अपनी सुरक्षा व लोगों में भय बनाने के लिए रखता हूं तथा अभियुक्त बांयी जेब से 10 रुपये का नोट मिला जो इसी के पास छोड़ा गया। अभियुक्त से बरामदा मोटर साइकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रंग सिलवर बिना नम्बर खड़ी करके उ 0 नि0 विकास कुमार द्वारा ई चालान ऐप के माध्यम से चैसिस नम्बर चैक किया तो जिसका रजिन्ट्रेशन नं0 DL13SS9629, चैसिस नं0.MBLHARO8XHHC25438 व इंजन नं0 HA10AGHHC70426 बरामद हुई। बरामदा उक्त मो० सा० के बारे में जानकारी की गयी तो बताया कि साहब यह मोटरसाईकिल मैंने भजनपुरा दिल्ली से चोरी की थी। अभियुक्त नईम उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो इसके द्वारा बताया गया कि मैं ट्यूबवैलो के तार तथा स्टाटर आदि चोरी कर उन्हें बेच देता हूँ। मैंने पहले भी अपने साथियों के साथ इसी क्षेत्र में कई बार ट्यूबवैलों पर चोरियाँ की हैं। मैने अपने साथियों सोनू, अलाउद्दीन व मोनू के साथ मिलकर बसी के जंगल से इसी साल जनवरी तथा अप्रैल में बसी, खेकडा व रटौल तथा मार्च में चाँदीनगर क्षेत्र के जंगल में ट्यूबवैलों से तार व स्टाटर चोरी किये थे। इनके द्वारा वर्तमान समय में प्रचिलत प्रक्रिया सम्पूर्ण बरामदगी व गिरफ्तारी की

धारा 105 बीएनएसएस के अन्तर्गत वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कर ई साक्ष्य एप पर अपलोड कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। जिसका SID न 0 2173415072034969 है। FSL की टीम को मौके पर बुलाने की सूचना भी कण्ट्रोल रुम को दी गयी। अभियुक्त नईम उपरोक्त को इसके जुर्म धारा 109 (1)/317 (5) बी0 एन 0 एस० व 3/25/27 आयुध अधि० से अवगत कराते हुए समय करीब 02:12 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा मौके पर ही मेरे द्वारा गिरफ्तारी मैमो तैयार किया गया। मुझ व उ 0 नि0 द्वारा उपरोक्त चोरियों के सम्बन्ध में थाना कार्यालय से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त चोरियों के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0 अ 0 सं0 09/26, 19/26 तथा 103/26 पंजीकृत है। थाना हाजा पर पहुँचकर सम्बन्धित विवेचक को बताया जायेगा। तथा थाना कार्यालय द्वारा ही चाँदीनगर थाने पर पूछकर बताया कि हमारे यहाँ ट्यूबैल पर जो चोरी हुई थी उसमें मुकदमा अपराध संख्या 32/2026 अंकित है, अभि० नईम उपरोक्त घायल अवस्था में है। सूचना प्राप्त होने पर थाना हाजा की पीसीएम 4 मौके पर उपस्थित है। अतः बिना अनावश्यक विलम्ब किये अभियुक्त के जीवनरक्षार्थ उपचार हेतु पीसीएम 4 पर नियुक्त उ 0 नि0 श्री श्रीपाल सिंह, का0 283 अमी नागर, हो०गा० 631 जितेन्द्र पुलिस अभिरक्षा में अभि० नईम उपरोक्त को समय करीब 02.16 बजे वास्ते उपचार सरकारी जीप से सीएचसी खेकडा रवाना किया गया। सूचना पर मौके पर FSL की टीम भी पुलिस लाईन बागपत से आ गयी है। जिनके द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा फोटोग्राफी की गयी तथा अभि० से बरामदा तमंचा व खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस को मौके पर ही सफेद कपड़े में रखकर सिलकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। दौराने गिरफ्तारी जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की गयी तो नावक्त होने के कारण कोई नहीं मिल सका। दौराने पुलिस मुठभेड माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व दिशा निर्देशो का पूर्णतः पालन किया गया।

5- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसने उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी पुलिसकर्मी पर तमन्चे से कोई फायर नहीं किया है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी दर्शित नहीं किया गया है। सभी साक्षी पुलिसकर्मी हैं। तथाकथित घटना में किसी पुलिसकर्मी को घायल होना नहीं कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से फर्जी बरामदगी दर्शित की गयी है। तथाकथित बरामदगी के सम्बन्ध में जनता का कोई साक्षी नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

6- अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

8- पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट/फर्द बरामदगी के अनुसार पर प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किये गये तथा प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक चोरी की मोटर साइकिल हीरो स्पलैण्डर बरामद होना भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। कथित पुलिस मुठभेड़ में किसी पुलिसकर्मी को चोट आना अभियोजन की ओर से अभिकथित नहीं किया गया है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी भी फर्द बरामदगी में अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 20.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास की आख्या में प्रार्थी/अभियुक्त का आठ अन्य मुकदमों में आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उक्त मामलों में प्रार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि दर्शित नहीं की गयी है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए, न्यायालय का मत है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **नईम** की ओर से मु०अ०सं० 163/2026, अन्तर्गत धारा 109(1), 317(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना खेकड़ा, जनपद बागपत में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **अंकन 50,000/- (पचास हजार) रुपये** का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू पत्र एवं निम्नलिखित

अण्डटेकिंग सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टिनुसार दाखिल करने पर प्रस्तुत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा किया जाये:-

1. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश की अनुपालना में जमानत बन्धपत्र अन्दर 15 दिवस सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करे।

दिनांक: 04.06.2026

पूनम राजपूत
अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या-01, बागपत।